कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-49/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिक परिषद, उत्तरकाशी

जनपद- उत्तरकाशी

विषय : नगर पालिका परिषद, मसूरी का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर एंव भाग -4(ब)-2 में 08 प्रस्तर एवं STAN शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-49/2016-17/ दिनांक : /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 साईं इंस्टीट्यूट के पास, राजपुर रोड़, देहरादून

2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री सुशील कुमार कुरील - अधिशासी, अधिकारी नगर (न.पा.प. उत्तरकाशी)

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.
(ii) श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री मधुकर मिश्रा, व.ले.प.
(iv) श्री एस.के.त्यागी, व..ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 06.10.2016 से 20.10.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पालिका परिषद- उत्तरकाशी, जिला- उत्तरकाशी**

   (अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

   (ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 12.05 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 17475

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या 09
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 30

   (ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- 06
4. बैठक : 30
5. कर्मचारियों की संख्या : 63
6. पंचायतराज की सम्पत्तियां : -दुकान, आवासीय भवन, कार्यालय भवन
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

   (द) लाभार्थियों की संख्या:
10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : सलंग्न विवरण अनुसार
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :- विवरण अनुसार

    (अ) सामान्यः -

    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।
12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पालिका परिषद -उत्तरकाशी,** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तथा की सम्प्रेक्षा श्री एस.के.त्यागी व.ले.प.अ. एंव श्री पी.एल. शर्मा स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिंह स.ले.प.अ. तथा श्री मधुकर मिश्र स.ले.प. द्वारा दिनांक 06.10.2016से 20.10.2016 कर सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः- शून्य

यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 (अ)**	**प्रस्तर भाग-2 (ब)-2**

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

	शून्य	1

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1:- अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि ` 54.58 लाख का अनावश्यक अवरोधन।

सामान्यतः योजनाओं की बचत व अर्जित ब्याज राशि को सम्बन्धित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए। अथवा योजना के दिशा-निर्देशानुसार शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त अन्य विकाससात्मक कार्यों पर उपभोग कर लिया जाना चाहिए।

परिषद के अवस्थापना विकास निधि अभिलखों की जाँच में ज्ञात हुया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में परिषद को अवस्थापना विकास निधि मद के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों के सम्पादन हेतु क्रमशः ` 103.45 लाख व ` 368.20 लाख की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से मयब्याज बचत राशि ` 29.31 लाख परिषद के ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के बचत बैंक खाता सं.-08642010019660 में मार्च 2016 तक शेष थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अवलोकन मे यह भि संज्ञान मे आया है की उक्त वर्षों मे संपादित कार्यो के सापेक्ष क्रमशः ` 1.53 लाख, ` 1.22 लाख, व ` 0.65 लाख की बचत हुई थी तहा वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत धनराशि ` 13.65 लाख का एक अन्य कार्य “लक्षेष्वर में होटल गणपति पैलेस से श्री दिपेन्द्र पश्चिमी के मकान तक गदेरे में प्लम सी.सी. निर्माण” भी स्थानीय लोगों के विवाद के कारण मार्च 2016 तक प्रारम्भ नहीं हो सका था। इसके अतिरिक्त, परिषद द्वारा मार्च 2016 तक योजना से संबन्धित बैंक खातों यथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बचत खाता सं.-08642191021284 व उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लि. बचत खाता सं.-000234029000048 पर क्रमशः ` 4.72 लाख व ` 3.50 लाख का ब्याज भी अर्जित किया था।

इस प्रकार, परिषद के बैंक खातों में मार्च 2016 तक अनारम्भ कार्य योजनाओं की बचत व ब्याज की कुल ` 54.58 लाख की राशि अवरुद्ध थी जिसे शासकीय लेखों में जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर परिषद द्वारा अवशेष धनराशि को यथाशीघ्र शासन को समर्पित करने का आश्वासन दिया गया। उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 की बचत व ब्याज राशि भी परिषद द्वारा अबी तक शासकीय लेखों में जमा नहीं की गयी थी।

अतः धनराशि ` 54.58 लाख के अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2:- आवसीय भवनों का बिना अनबन्ध साक्ष्य विहीन अनियमित आंवटन व लम्बित वसूली ` 1.15 लाख।

नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी को व रुणावत, पैकेज के अन्तर्गत पालिका परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु ` 161.00 लाख की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से ` 59.00 लाख में अधिशासी अधिकारी व कर्मचारी आवासों का निर्माण माल रोड़/वरुणावत शांपिग काम्पलैक्स के द्वितीय तल पर कराया गया था। आवसीय काम्पलैक्स में चार थ्री रुम सेट व दो वन रुम सेट निर्मित कराये गये थे। आवासीय भवनों का निर्माण अक्टूबर 2013 में पूर्ण हो गया था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान संज्ञान में आया कि आवासीय भवनों के निर्माण के उपरान्त परिषद के अभिलेखों में कोई भी आवास किसी कर्मचारी को आंवटीत नहीं किया गया था जबकि परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी भवनों की किराया सूची के अनुसार, सम्प्रेक्षा तिथि (अक्टूबर 2016) में निर्मित चार थ्री रुप आवसों में से दो आवासों में श्रीमति सरोज भटूड़ा, सहायक अध्यापिका व श्री जगदीश रतूड़ी, सूड़ा सिटी मैनेजर तथा दोनों वन रुम आवासों में से एक में श्री जीत सिंह गुसाई, संग्रह कर्ता व दूसरे में श्रीमति चन्द्रा देवी, परिचारिका रह रहे थे। सभी कर्मचारी इस आवासों में बिना किसी अनुबंध वा किराया भुनतान के रह रहे थे । श्री जगदीश रतूड़ी पालिका परिषद के कर्मचारी नहीं थे। कर्मचारियों के वेतन बिल से यह भी ज्ञात हुआ कि श्रीमति सरोज भटूड़ा, श्रीमति चन्द्रदेवी व श्री जीत सिंह गुंसाई को भवन किराए के रूप मे क्रमशः ` 950/- व ` 900/- मासिक का भुगतान किया जा रहा था। पालिका परिषद यह बताने में असमर्थ थी कि अमुक कर्मचारी संदर्भित आवासों में कब से रह रहे थे, परिषद द्वारा केवल इतना बताया गया कि दैवीय आपदा को देखते हुये इनको आवास दिये गये थे। परिषद को उक्त कार्मचारियों के संदर्भित आवासों में रहने की तिथि ज्ञात न होने के कारण इन कर्मचारियों से आवासों के निर्माण की तिथि से निम्न विवरणानुसार किराये की कटौती की जानी चाहिये:-

कर्मचारी का नाम	**नवम्बर 2013 (आवास निर्माण तिथि) से मार्च 2016 तक माहो की संख्या**	**वेतन बिल के अनुसार मासिक किराये की दर (`)**	**कुल देय किराया (` में)**
1.श्रीमति सरोज गटूड़ा	29	2,100/-	60,900/-
2.श्रमति चन्द्रा देवी	29	950/-	27,550/-
3.श्री जीत सिंह गुंसाई	29	900/-	26,100/-
योग			**1,14,550/-**

इंगित किये जाने पर परिषद द्वारा वसूली की कार्यवाही की बात कही गयी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि आवासीय भवनों का आवंटन नियमानुसार अनुबन्ध गठित कर किया जाना चाहिए था तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन बिल से आवंटन की तिथि से कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- परफोरमेन्स सिक्योरिटी व अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी के रुप में ठेकेदार से ` 11.62 लाख की कम राशि जमा कराया जाना तथा ठेकेदार के बिलों से बिल राशि की 5% सिक्योरिटी डिपोजिट की कटौती न किया जाना।

जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के उपघटक यू.आई.डी.एस.एम.एम.टी. के अन्तर्गत अक्टूबर 2014 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना "कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वाल्स, रोड्स, ड्रेन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेबलपमेन्ट ऐट नगर पालिका परिषद" के क्रियान्वनयन हेतु ` 454.30 लाख (आगणित धनराशि ` 445.04 लाख) जिसमे ` 9.00 लाख की कंटेंजेंसी राशि (Add for contingency) सम्मिलित थी, की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । परियोजना हेतु स्वीकृत राशि मे ` 363.44 लाख का केन्द्राशं निर्धारित था। परिषद द्वारा न्यूनतम निविदा के आधार पर श्री पूर्णानन्द व्यास को 15.493% कम दरों पर ` 3.76 करोड़ में जूलाई 2015 के कार्यादेश निर्गत किया गया था व अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्ध के क्लोज न.-3 के अनुसार, ठेकेदार से 5% सिकुरिटी डिपोसिट के साथ साथ 5% परफ़ोर्मेंस सिकुरिटी तहा आगणित लागत से प्रत्येक 1% कम दर के लिये आगणित लागत की अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा करायी जानी थी।

निर्माण पत्रावली के अवलोकन में संज्ञान में आया कि ठेकेदार द्वारा कुल ` 44.00 लाख की सिक्योरिटी जमा की गयी थी जबकि ठेकेदार से ` 22.25 लाख (` 445.04 लाख का 5%) की परफ़ोर्मेंस सिकुरिटी व ` 33.37 लाख (` 445.04 लाख का 7.5%) की अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा करायी जानी थी। साथ ही परिषद द्वारा ठेकेदार के बिलों से बिल राशि का 5% सिक्योरिटी डिपोजिट के रुप में काटी जानी थी जिसकी वापसी डिफेक्ट लायबालिटी पीरियड़ व तीन वर्ष के अनुदान पीरियड़ की समाप्ति के उपरान्त की जानी थी।

इस प्रकार, परिषद द्वारा ठेकेदार से ` 11.62 लाख की कम सिक्योरिटी जमा करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा ठेकेदार के बिलों से बिल राशि का 5% सिक्योरिटी डिपाजिट भी नहीं काटा जा रहा था।

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में निम्नानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी तथा अवशेष राशि ठेकेदार से जमा करा ली जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि सिक्योरिटी की राशि अनुबन्ध पर हस्ताक्षर के समय ही जमा कराया जानी चाहीए थी।

अतः ठेकेदार से ` 11.62 लाख की कम सिक्योरिटी राशि जमा कराये जाने व ठेकेदार के बिलों से 5% सिक्योरिटी डिपोजिट न काटे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित ` 25.00 लाख का कार्य अपूर्ण रहना।

नगर पालिका परिषद की ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग को भारत सरकार की विशेष योजना के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तरखण्ड़ देहरादून के माध्यम से सचिव उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा पत्र सं.- 151 दिंनाक 25.03.2013 को ` 24.38 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना वार्ड न. 4 मस्जिद मोहल्ले के निकट प्रस्तावित भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ट्रांस्फर स्टेशनस, सैग्रीगेशन हाल, कम्पोजिट पिट्स एवं स्थल विकास का निर्माण कार्य तैयार कर PT बिल्र्डस को कार्यादेश सं. 1937 दिंनाक 02.02.2015 को ` 24,87,500/- के अनुबन्ध द्वारा आवंटित किया गया था. कार्य की आगणन लागत ` 25.00 लाख थी। तथा पूर्ण करने की अवधि 2 माह थी। उक्त कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को कुल ` 17,95,158/- का भुगतान पृथक चलित देयक के रुप में दिंनाक 02.11.2015 को किया गया था। परन्तु कार्य अक्टूबर 2016 तक अपूर्ण था।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत नियमों को पालन नहीं किया जा रहा था। कूड़े के निस्तारण हेतु खुली भूमि का उपयोग किया जा रहा था, बंद वाहनों के स्थान पर खुले वाहनों का प्रयोग तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड से प्राधिकार पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्जिज भी नहीं लिये जा रहे थे।

उपयुक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि कार्य में विवाद होने के कारण कार्य स्थागित किया गया था कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया है तथा ठेकेदार को कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। तथा ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित नियमों के पालन हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा बोर्ड़ प्रस्ताव पास कराकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्जिज लिये जायेगें। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य प्रारम्भ से पूर्व ही इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिये था कि कार्यस्थल विवाद रहित है तथा कार्य को समय सीमा से अन्तर्गत पूरा कराने हेतु सक्षम अधिकारी उत्तदायी होते है। ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के पालन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बार-बार निर्देशत करने के पश्चात भी ऐसा न करना दिशा-निर्देशों का उल्लघंन है तथा शासकीय आदेशों का उल्लघंन है।

अतः ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 5:- उत्तरखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन न करना।

1. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 3 नियम 42 के अनुसार एक योजना से जुडे समस्त कार्यों की एक स्वीकृति के सम्बन्ध में यह व्यवस्था हे कि कार्यों के समूह को जो एक परियोजना के ही भाग है एक कार्य मानते हुये ही सक्षम अधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाये। मात्र इसलिये कार्य के अलग-अलग टुकडे न किये जाये कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेनी पड़े।

नगर पालिका परिषद द्वारा राज्य वित्त से वर्ष 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्य वाड़ न. 07 में ज्ञानसू में गल्ला गोदाम की सी.सी. सडक व नाली निर्माण का कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एक ही कार्य को जॉब (1) एवं जॉब (2) के द्वारा दो टुकड़ों में बाँटा गया था। कार्यों की स्वीकृत लागत ` 7.37 लाख+` 9.46 लाख (कुल लागत ` 16.83) लाख थी अतः उक्त अनुमति (उच्च स्तर से) लेने से बचने के लिये विभाग द्वारा कार्य को टुकड़ो में बाँटा गया था जो कि अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन है।

2. उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमवली 2008 नियमों के अनुसार निर्माण कार्य के क्रियान्वयन, जिसमें अधिप्राप्ति की योजना भी सम्मिलित है मे सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिये।

(1). प्रारम्भिक योजना रिपोर्ट बनाया जाना।

(2). आवश्यकताओं की स्वीकारोक्ति।

(3). वित्तीय सस्वीकृति।

(4). प्रशासनिक अनुमोदन।

(5). सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(6). निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यादेश जारी किये गये हो।

(7). बजट की उपलब्धता हो तथा सक्षम अधिकारी से व्यय करने की सस्वीकृति उपलब्ध हो।

(8). कार्य तब तक प्रारम्भ न किया जाये जब तक सक्षम अधिकारी के प्राकलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

नगर पालिका द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में राज्य वित्त से प्रपट धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा कार्यों पर प्राकलन/आगणन के सापेक्ष 11 प्रतिशत से 97 प्रतिशत की धनराशि अधिक व्यय की गई है। जिससे स्पष्ट होता है की आगणन नियमानुसार नहीं किया जा रहा था । जिसके कारण उक्त कार्यों पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ` 11.44 लाख की धनराशि अधिक व्यय की गई थी। पुनिरिक्षत आगणन, वित्तीय स्वीकृति, प्रासानिक स्वीकृति के संदर्भ में पत्रावलियों में कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्ययोजना बोर्ड़ प्रस्तावना के अनुसार तैयार की जाती है। जनता की माँग के अनुसार कार्य का विस्तार किया जाता है जिसके कारण कार्यों में अधिक व्यय हुआ है। वित्तीय स्वीकृति हेतु बोर्ड़ में प्रस्ताव रखा जायेगा। भविष्य में स्वीकृत धनराशि के अनुसार कार्य कराये जायेगे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों के सम्पादन मे उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है तथा दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पालन न करने से अधिक धनराशि व्यय होने के कारण वित्तीय हानी होती है जिसका दुष्प्रभाव योजनाओं पर पड़ सकता है।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली 2008 से सम्बन्धित नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 6:- दुकान एवं आवसीय भवनों का किराया तथा गृहकर की लम्बित वसूली ` 13,80,491/-

गृहकर तथा दुकान एवं आवसीय भवनों के किराये से प्राप्त धनराशि पालिका की आय/राजस्व का मुख्य स्रोत है ताकि राजस्व में बढोत्तरी हो सकें तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग कल्याणकारी कार्यों में किया जा सके।

उक्त मदों में बकाया वसूली लम्बी अवधि से लम्बित पड़ी है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` में)

क्र.सं.	**मद का नाम**	**वसुली हेतु लम्बित राशि**
1.	दुकान एवं आवासीय भवनों का किराया	11,21,053/-
2.	गृहकर	2,59,438/-
	योग	**13,80,491/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा बकायादारों को भू-राजस्व के माध्यम से वसूली के प्रयास किये जायेगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त मदों से प्राप्त धनराशि नगर पालिका की आय का मुख्य स्रोत है तथा उक्त वसूली नियमित रुप से की जानी चाहि थी ऐसा प्रयास नहीं किया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 7:- राज्य वित्त से कराये गये ` 120.23 लाख के अपूर्ण कार्य।

नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा कराये गये 83 कार्यों में 66 कार्य अक्टूबर 2016 तक अपूर्ण थे। कार्यों पर स्वीकृत लागत ` 120.23 लाख थी। अनुबन्ध राशि ` 117.45 लाख थी तथा उक्त कार्यों को विभिन्न ठेकेदारों से दिंनाक 02.09.2015, 03.09.2015, 16.11.2015 व 17.12.2015 को अनुबन्ध कराये गये थे। कार्यों को पूर्ण करने की अवधि तीन माह थी। उक्त कार्यों में से 08 कार्यों पर ` 17.29 लाख की धनराशि कार्यों के सापेक्ष अग्रिम के रुप में स्वीकृत की गई थी। परन्तु 07 माह से 12 माह तक के विलम्ब के पश्चात भी पत्रावलियों में कार्यपूर्ति से सम्बन्धित भी अभिलेख सलंग्न नहीं है। तथा इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्यपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इगिंत किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य पूर्ण हो चुके है मापन की कार्यवाही की जायेगी तथा अग्रिमों का समायोजन अन्तिम भुगतान के समय किया जायेगा। उत्तर सतोंषजनक नहीं है क्यंकि निर्माण कार्यों की समय सीमा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है तथा समय सीमा के पालन हेतु सक्षम अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होगें। कार्य के समय पर सम्पादित न होने से लक्ष्यों की प्राप्त नहीं होती है तथा अन्य योजनाओं पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

अतः ` 120.23 लाख के अपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 8:- ` 3.24 लाख का व्यावर्तन।

नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 में प्राप्त राज्य वित्त से सम्बन्धित अनुदानों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मद से सफाई सामग्री क्रय की गया है।

जबकि राज्य वित्त से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त मद से वेतन एवं विकास कार्यों पर ही व्यय किया जाना था। लोकन विभाग द्वारा राज्य वित्त के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा ` 3.24 लाख की सफाई सामग्री क्रय की गयी थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उक्त अधिप्राप्ति हेतु कोटेशन निविदा की प्रक्रिया नहीं अपनायी गई थी जबकि उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार ऐसा करना आवश्यक था।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य की आवश्यकता को देखते हुये जनहित में सामग्री क्रय की गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त मद/अनुदान का बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय